प्रेस विज्ञप्ति

20.12.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी आंचलिक कार्यालय ने **18.12.2025** को मेसर्स पूर्वाश्री प्रिंटिंग हाउस, गुवाहाटी के मालिक प्रियांशु बोइरागी के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), **2002** के प्रावधानों के तहत उन्हें गिरफ्तार किया। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), गुवाहाटी के समक्ष पेश किया गया, जिसने पांच (**5)** दिनों के लिए ईडी हिरासत में भेज दिया है।

ईडी ने मुख्यमंत्री के विशेष सतर्कता प्रकोष्ठ, असम द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर आईपीसी, **1860** और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, **1988** की विभिन्न धाराओं के तहत जांच शुरू की। उक्त अपराध पीएमएलए की अनुसूची के भाग –क के तहत निर्धारित अपराध हैं। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि मेसर्स पूर्वाश्री प्रिंटिंग हाउस, गुवाहाटी के प्रोपराइटर प्रियांशु बोइरागी ने श्रम कल्याण उपकर के रूप में एकत्र किए गए सरकारी धन को धोखाधड़ी से निकालने के लिए चौहान डोले, आईएएस (तत्कालीन सदस्य सचिव, असम भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड - एबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी), गौतम बरुआ (तत्कालीन अध्यक्ष, एबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी) और अन्य अधिकारियों के साथ आपराधिक साजिश रची। असम भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, **1996** के तहत एकत्र किया गया श्रम कल्याण उपकर (सामान्यतः निर्माण लागत का **1%)** एक समर्पित कल्याण कोष है जो विशेष रूप से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए है। निर्माण कार्य की अनौपचारिक, खतरनाक और असुरक्षित प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इसका उपयोग दुर्घटना और मृत्यु सहायता, चिकित्सा सहायता, मातृत्व लाभ, पेंशन, श्रमिकों के बच्चों के लिए शैक्षिक सहायता, अंतिम संस्कार सहायता और अन्य कल्याणकारी उपायों जैसे लाभ प्रदान करने के लिए किया जाता है। घोटाले के षडयंत्रकारियों ने समाज के अत्यंत गरीब वर्गों के लिए धन को धोखाधड़ी से निकाल लिया और शोधन (लाउंडेरइंग) किया।

वित्तीय वर्ष **2013-14, 2014-15** और **2015-16** के दौरान, प्रियांशु बोइरागी को मंचित, नकली और जाली निविदा प्रक्रियाओं के माध्यम से कुल **121.05** करोड़ रुपये के धोखाधड़ी वाले मुद्रण का ठेका दिया गया था। अनुबंध राशि में से, **118.55** करोड़ रुपये की राशि मेसर्स पूर्वाश्री प्रिंटिंग हाउस को एबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी से प्राप्त हुई थी, जिसका एक बड़ा हिस्सा या तो तुरंत प्रियांशु बोइरागी द्वारा व्यक्तिगत एफडी में परिवर्तित कर दिया गया था या अपराध की आय (पी ओ सी **)** का पता लगाने को जटिल बनाने के लिए दिल्ली में कई शेल संस्थाओं के माध्यम से भेजा गया था।

तलाशी के दौरान पीएमएलए की प्रासंगिक धाराओं के तहत अपराध संकेती साक्ष्य और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं, साथ ही एक ऑडी कार भी जब्त की गई है। इस मामले में पहले, पीएमएलए की धारा **5(1)** के तहत 34.03 **करोड़ रुपये** की एफडी और बैंक बैलेंस को कुर्क किया गया है और इसकी पुष्टि पीएमएलए के माननीय न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा की गई थी।